न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–23/2018–19

प्रथम पक्षः–नरेश पाण्डेय एवं अन्य ग्राम–टण्डवा, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–गुड़न माली, ग्राम–टण्डवा, थाना–टण्डवा एवं अंचल अधिकारी, टण्डवा।

1 | 2 | 3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी नरेश पाण्डेय वो परमेश्वर पाण्डेय, पिता–धनश्याम पाण्डेय, ग्राम–टण्डवा, अंचल–टण्डवा के द्वारा उनके अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस वाद में प्रतिवादी गुड़न माली, पिता–स्व0 तेतर माली, ग्राम–टण्डवा है। यह अपील वाद अंचल अधिकारी, टण्डवा के न्यायालय से पारित वाद संख्या–27/2018 के विरूद्ध लाया गया है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकबा	कुल रकबा
टण्डवा	81	882	0.31 एकड़	1.06 एकड़
		906	0.75 एकड़	

अपीलार्थी ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि प्रक्रिया से संबंधित भू–खण्ड का खतियानी रैयत बिटन माली, पे0–गुलाब माली, ग्राम–टण्डवा, जिला–चतरा है। खतियानी रैयत बितन माली की यह भूमि लगान वसूली के वजह से नीलाम हो गया तथा नीलाम में तारकेवर पाण्डेय, पे0–कैलाश पाण्डेय, साकिन–टण्डवा ने यह भूमि हासिल किया। तारकेवर पाण्डेय ने जमींदारी रसीद भी इस भूमि का प्राप्त किया। जमींदारी उन्मूलन के बाद अंचल कार्यालय से पंजी–2 में उनका नाम आया।

अपीलकर्त्ता ने आगे कहा है कि तारकेवर पाण्डेय के दो पुत्र हुए। आदित्य पाण्डेय तथा अम्बिका पाण्डेय। आदित्य पाण्डेय ने 0.34½ एकड़ भूमि मालती देवी, पति–नरेश पाण्डेय को निबंधित दान पत्र दिया। खाता नं0–81 के प्लॉट नं0–881 में हीं 0.98 एकड़ भूमि अयोध्या पाण्डेय, रामसेवक पाण्डेय और नरेश पाण्डेय को निबंधित दान पत्र सं0–8461/1991 से दान पत्र किया गया। इसी प्रकार अम्बिका पाण्डेय ने भी अपने अंश की भूमि में 0.20 एकड़ भूमि परमानन्द पाण्डेय को दान कर दिया और 0.34½ एकड़ भूमि मालती देवी, पति–नरेश पाण्डेय को निबंधित दान पत्र सं0–5556/1992 से दान कर दिया। इस प्रकार परमानन्द पाण्डेय तथा मालती देवी इन्हीं श्रोतों से दखल–कब्जा में आई। अपीलार्थी का कथन है कि बद्री पाण्डेय, परमानन्द पाण्डेय, नरेश पाण्डेय, अयोध्या पाण्डेय और रामसेवक पाण्डेय ने एक सुलहनामा आवेदन अंचल अधिकारी, टण्डवा के समक्ष दिया तथा अलग–अलग डीमाण्ड खोलने का आग्रह किया, जिसे अंचल अधिकारी ने स्वीकार भी किया। विपक्षी ने भी खतियानी रैयत के वारिशान के आधार पर अपना डीमाण्ड खोलने का आग्रह अंचल अधिकारी से किया। अंचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया तथा उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार

Scanned with OKEN Scanner

पर गलत आदेश पारित किया। अंचल अधिकारी ने सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया। अपीलार्थी का एक भी नहीं सूना और नियमविरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया गया।

दूसरी ओर इस वाद की प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने लिखित कथन दाखिल कर यह कहा है कि मौजा–टण्डवा के खाता नं0–81, प्लॉट नं0–882, रकबा–0.31 एकड़, प्लॉट नं0–906, रकबा–0.75 एकड़ तथा प्लॉट नं0–1413, रकबा–0.03 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष की खतियानी भूमि है। खतियान के अनुसार यह भूमि बिटन माली के नाम से दर्ज था। बिटन माली की मृत्यु के बाद उतराधिकारी की हैसियत से तेतर माली इस भूमि के कब्जा में आये। तेतर माली के बाद गुड़न माली इसपर उतराधिकारी की हैसियत से काबिज हुए। इन्होंने यह भी कहा है कि प्रश्नगत भू–खण्ड का मामला जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय में भी मुआवजा भुगतान को लेकर चल रहा है, क्योंकि प्रश्नगत भू–खण्ड एन0टी0पी0सी0 परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहित भी किया गया है तथा गुड़न माली की यह खतियानी भूमि थी।

इस वाद की प्रक्रिया में निम्न न्यायालय का अभिलेख भी अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख संख्या–27/2018–19 का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि अंचल अधिकारी, टण्डवा के न्यायालय से गुड़न माली, पे0–तेतर माली ने प्रश्नगत भू–खण्ड का लगान रसीद खतियान के आधार पर निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी से आग्रह किया। अंचल अधिकारी ने इस संदर्भ में हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया तथा आवेदक का खतियानी भूमि होने के कारण पूर्व से चली आ रही जमाबन्दी को बन्द कर इनके नाम से लगान रसीद निर्गत करने तथा पंजी–2 में जमाबन्दी कायम करने का आदेश पारित किया। साथ हीं साथ विपक्षी को सक्षम न्यायालय में जाने का भी आदेश दिया, क्योंकि पंजी–2 में विपक्षी के नाम से जो जमाबन्दी चल रही थी उसके प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश उल्लिखत नहीं था।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के लिखित कथन तथा अंचल अधिकारी के पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भू–खण्ड का मामला वास्तव में उभय पक्षों के बीच एन0टी0पी0सी0 परियोजना के द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा भुगतान के मामले को लेकर ही उत्पन्न हुआ है। यद्यपि मुआवजा भुगतान का मामला जिला भू–अर्जन कार्यालय, चतरा से संबंधित है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने इस न्यायालय में जो मामला द्वितीय पक्ष के विरूद्ध लाया है वह द्वितीय पक्ष के पूर्वज के नाम से खतियान में दर्ज है। अपीलार्थी का दावा है कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज के काल में हीं यह भूमि नीलाम हो गया था तथा विभिन्न श्रोतों से इनलोगों को यह भूमि हासिल हुआ है। इस प्रकार एक पक्ष खतियानी भूमि तथा उतराधिकार के आधार पर दावा कर रहें हैं, तो दूसरा पक्ष नीलाम से भूमि प्राप्त करने का दावा कर रहें है। मामला हक्–हक़ीयत तथा एन0टी0पी0सी0 परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि पर मुआवजा भुगतान में किए जाने वाले दावे–प्रतिदावे को लेकर ही प्रतीत होता है, जिसके लिए व्यवहार न्यायालय हीं सक्षम न्यायालय है।

अतः इस वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

C.C. Issued

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 15:42:58 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner